

न्यायालय-न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी-अमनदीपसिंह छाबडा)

प्रकरण क्र-RCT/300822/2016
संस्थित दिनांक-29 / 11 / 2016
फाईलिंग नं. RCT/822/2016

मध्यप्रदेश शासन द्वारा
आरक्षी केन्द्र बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....अभियोगी

विरुद्ध

चुन्नीलाल बारमाटे पिता हिरन बारमाटे, उम्र 45 वर्ष जाति महार,
निवासी सहेजना थाना बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)आरोपी

-:: निर्णय ::-

(आज दिनांक-03 / 10 / 2017 को घोषित)

01. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-354 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-12.11.2016 को समय करीब 18:30 से 18:35 बजे थाना बैहर अंतर्गत ग्राम सहेजना प्रार्थिया के घर के सामने प्रार्थिया की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर खींचतान कर अपराधिक बल का प्रयोग किया।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.11.16 को फरियादिया कृष्णा बारमाटे के द्वारा अपने पति मनोज के साथ थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके काका ससुर चुन्नीलाल बारमाटे के द्वारा बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर खींचतान की गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्र.239/16 धारा-354 भा.द.वि. का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का नजरी-नक्शा, फरियादिया एवं गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी चुन्नीलाल बारमाटे के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने से आरोपी का गवाहों के समक्ष उपस्थिति पंचनामा तैयार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से चालान क्रमांक 511/16 दिनांक 27.11.16 तैयार किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 के अंतर्गत अपराध की मुख्य विशिष्टियों का आरोप पत्र विरचित कर आरोपी को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया अस्वीकार कर विचारण चाहा गया।

04. आरोपी के विरुद्ध निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-12.11.2016 को समय करीब 18:30 से 18:35 बजे थाना बैहर अंतर्गत ग्राम सहेजना प्रार्थियां के घर के सामने प्रार्थियां की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर खींचतान कर आपराधिक बल का प्रयाग किया ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

05. उक्त विचारणीय बिंदू के संबंध में फरियादिया कृष्णा अ.सा.01 का कथन है कि वह आरोपी को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से 06 माह पूर्व शाम के समय उसके घर के पास ग्राम सहेजना की है। घटना के समय उसका आरोपी के साथ पारिवारिक विवाद हो गया था। आरोपी उसके काका ससुर है। परिवारवालों की समझाईश पर उनका विवाद शांत हो गया था। फिर उसने बैहर जाकर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 दर्ज कराई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके बताये अनुसार मौका-नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना दिनांक 12.11.16 को शाम 6:30 बजे जब वह अपने घर के अंदर काम कर रही थी, तभी आरोपी के बाहर बुलाने पर वह निकली तो आरोपी ने उसका हाथ बुरी नियत से पकड़ लिया और अपनी ओर खींचने लगा, फिर घबराकर हाथ छोड़ाकर वह घर के अंदर भाग गई और दरवाजा बंद कर दी तो आरोपी उसके घर का दरवाजा तोड़ने लगा और तब उसके आवाज लगाने पर उसकी लड़की रत्ना आ गई, तब आरोपी वहां से भाग गया और वह अपनी लड़की के साथ पीछे दरवाजे से बाहर निकल गई, फिर उसके पति के घर आने पर उसने उन्हें पूरी बात बताई, जिसके बाद उसने थाने जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी-03 पुलिस को न देना व्यक्त किया।

06. फरियादिया कृष्णा अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-03 में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका केवल

मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी, उसका आरोपी के साथ समझौता हो गया है और वह उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। इस प्रकार प्रकरण की फरियादिया कृष्णा अ.सा.01 ने आरोपी द्वारा उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने संबंधी पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं दी है। प्रकरण की फरियादी/आहत ने स्वयं विचारणीय बिंदू के संबंध में अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है।

07. इस प्रकार निर्णय की पूर्वगामी विवेचना के आधार पर प्रकरण की फरियादिया कृष्णा अ.सा.01 ने अपने कथन में विचारणीय बिंदू के संबंध में अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है एवं विचारणीय बिंदू के संबंध में अभियोजन के महत्वपूर्ण तथ्यों का खंडन किया है। फरियादिया कृष्णा अ.सा.01 ने स्वयं इन तथ्यों का खंडन किया है कि आरोपी द्वारा उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया, जिससे अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है। आरोपी को आरोपित अपराध से संलग्न किए जाने के संबंध में पुष्टिकारक साक्ष्य का अभाव है। ऐसी स्थिति में अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक समय व स्थान पर आरोपी द्वारा प्रार्थिया की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर खींचतान कर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया। परिणामस्वरूप आरोपी चुन्नीलाल बारमाटे को धारा-354 भा.दं.वि. के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

08. प्रकरण में आरोपी द्वारा निष्पादित जमानत एवं बंधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

सही / -

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

सही / -

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट